खण्ड -16 संख्या -4

1266
02/02/16

एकादश
बिहार विधान-सभा वादवृत्त

भाग-2

कार्यवाही प्रश्नोत्तर रहित

वृहस्पतिवार, तिथि 5 अगस्त, 1999 ई०

सत्यमेव जयते

श्री देवनाथ प्रसाद : अगर सूचना सरकार को मिलेगी, माननीय सदस्य या डिस्ट्रीक्ट बार एसोसिएशन सूचना देंगे तो सरकार इसकी जाँच करेगी ।

श्री देवनाथ प्रसाद : उनलोगों की यह शिकायत थी, इसलिए सरकार ने यह निर्णय लिया शिकायत अधिवक्ताओं को न रहे, इसीलिए हमलोगों ने यह डिसीजन लिया ।

श्री चन्द्रमोहन प्रसाद : जाली स्टाम्प बिक्री के लिए एक मुकदमा भी किया गया है । आपको इसकी जाँच करानी चाहिए ।

उपाध्यक्ष : यह कोर्ट में चल रहा है ।

श्री देवनाथ यादव : कोर्ट का जो निर्णय होगा, जो सी0डब्लू0जी0सी0 माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित है, इसमें कोर्ट का जो भी आदेश होगा, सरकार उसे शत-प्रतिशत एक सप्ताह के अन्दर लागू करेगी ।

उपाध्यक्ष : अभी संसदीय-कार्य मंत्री ने आग्रह किया है और हम समझते हैं कि जो शेष ध्यानाकर्षण हैं, उसे यहीं पर छोड़ दिया जाए और बाढ़ की विभीषिका पर चर्चा प्रारम्भ करना चाहते हैं ।

सामान्य लोक-हित के विषय पर विमर्श

बाढ़ की विभीषिका से उत्पन्न स्थिति पर विमर्श

उपाध्यक्ष : यह सभा राज्य में बाढ़ की विभीषिका से उत्पन्न स्थिति पर विचार विमर्श करे । जो प्रस्ताव प्राप्त हुआ है सभा-सचिवालय को पत्रांक 1078 दिनांक 2.8.99 के क्रम में इसपर चर्चा हम प्रारम्भ करायेंगे । इसके अन्तर्गत माननीय सदस्य श्री राजेन्द्र प्रसाद

सिंह, श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, श्री अम्बिका प्रसाद एवं श्री शिवनाथ वर्मा स0वि0स0 से प्राप्त निम्न विषय के प्रस्ताव की सूचना जिसपर दिनांक 3.8.99 को विचार-विमर्श कराना था, अब इस पर दिनांक 5.8.99 को ध्यानाकर्षण के बाद बाढ़ की विभीषिका पर उत्पन्न स्थिति पर विचार-विमर्श होगा ।

यह सभा राज्य में बाढ़ की विभीषिका से उत्पन्न स्थिति पर विचार-विमर्श करे ।

श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :-

"यह सभा राज्य में बाढ़ की विभीषिका पर उत्पन्न स्थिति पर विचार-विमर्श करे" ।

महोदय, शायद ही कोई वर्ष ऐसा हो जब इस विधान-सभा में बाढ़ की विभीषिका और उसके निदान पर चर्चा न हुई हो । लेकिन आज तक उसपर न के बराबर अमल हुआ। सबसे पहले मैं शुरुआत वहां से करना चाहता हूँ कि बिहार की जो भौगोलिक बनावट है, जो प्राकृतिक स्थिति है, बगैर उसका विश्लेषण किए हुए, बगैर उसकी जानकारी लिए, बगैर उन तथ्यों की छानबीन किए हुए, हमलोग फ्लड के खिलाफ फाईट नहीं कर सकते हैं। इसलिए महोदय, मैं इसे दो भाग में बांटकर चर्चा की शुरुआत करता हूँ । नम्बर वन जो बाढ़ की स्थिति है, उसके कारणों का गहन विश्लेषण और दूसरा उसके निदान के उपाय क्या हो सकते हैं ।

श्रीमती चन्द्रमुखी देवी : उपाध्यक्ष महोदय, बाढ़ की विभीषिका पर बहस हो रही है, मंत्री जी नदारद हैं, उत्तर कौन देगा ?

श्री रामचन्द्र पूर्वे : मुख्यमंत्री स्वयं मौजूद हैं ।

उपाध्यक्ष : मंत्री जी नदारद हैं लेकिन मंत्रिगण मौजूद हैं ।

श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह : मैं तो कह रहा था और इसमें ख़ासकर दो विभागों को जब तक एक साथ मिलाकर, इरीगेशन और रिलीफ रिहैबिलटेशन डिपार्टमेन्ट इन दोनों को एक साथ मिलाकर जबतक बात नहीं करेंगे, तब तक इसका निदान नहीं हो सकता है । क्योंकि दोनों विभागों का यह मिलता जुलता सवाल है, दोनों विभाग के मंत्री, दोनों विभाग के पदाधिकारियों को मिलाकर....

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था पर हूँ । पिछले दिनों समाचार पत्र में छपा कि केबिनेट के लिये मंत्रिमंडल को एक उप-समिति का गठन का काम किया है, मंत्रिमंडलीय उप-समिति में कौन-कौन सदस्य हैं क्या उन सदस्यों में से कोई सदस्य यहां उपस्थित हैं या नहीं ? संसदीय कार्यमंत्री ने अभी कहा कि माननीया मुख्यमंत्री ज़ी यहां हैं तो क्या माननीया मुख्यमंत्री जी इस पर जवाब देंगी ? कैबिनेट जब उप-समिति बना दिया है मॉनेटरिंग करने के लिये तो उप-समिति कौन-कौन सदस्य हैं, संसदीय कार्यमंत्री बतलायें कि उस उप-समिति के सदस्य यहां कौन हैं ? राहत समिति के अलावे और मंत्री होंगे ।

श्री राजकुमार पूर्वे : सरकार को सामूहिक जवाबदेही होती है जब माननीया मुख्यमंत्री स्वयं हैं, इसका मतलब है पूरा कैबिनेट है, पूरी उप-समिति, सभी है ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव : नियमानुसार कैबिनेट ने जब उप-समिति बना देने का फैसला लिया है तो मा0 मुख्यमंत्री के रहते हुये भी उप-समिति के सदस्य का रहना आवश्यक है । उप-समिति ही निर्णय लेकर, फाईनल एप्रूभल के लिये मुख्यमंत्री के पास

जायेगा। मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडलीय उप-समिति बनाने का फैसला ले लिया।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, आपका जो प्वायंट है, आपने जो प्रश्न उठाया है, तथ्य तो जरूर है, लेकिन संसदीय प्रणाली में आप भी जानते हैं, आप कुर्सी पर शोभायमान हुये थे इसलिये जानते हैं कि मंत्रि परिषद् के सदस्य रहने से हो जायेगा - सामूहिक जिम्मेवारी है, यह सही है इसलिये विरोध नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आपने जो प्वायंट आऊट किया वह भी सिरियस है।

श्री राजकुमार महासेठ : महोदय, मैं खड़ा हूँ जवाब देने के लिये, उस उप-समिति के सदस्यों से मैं हूँ और यहां मौजूद हूँ।

श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, तो मैं यह कह रहा था.....

उपाध्यक्ष : लेकिन एक जानकारी हमारी भी थी कि राज्यपाल की अध्यक्षता में एक समिति बनी थी राहत कार्य के लिये, शायद उसकी एक मिटिंग भी हुई थी पेपर्स में छपा था, मिटिंग हुई थी। पिरीओडिकल रिभ्यू उप-समिति के स्तर पर हो रहा है या राज्यपाल के स्तर पर भी हो रहा है ? मैं समाचार-पत्र में पढ़ा था, राज्यपाल की अध्यक्षता में बाढ़ राहत के बारे में कुछ हुआ था।

श्री रामचन्द्र पूर्वे : महामहिम राज्यपाल की अध्यक्षता में आफिसर्स की बैठक हुई थी जिसमें बाढ़ की स्थिति, राहत वितरण आदि की समीक्षा की गई थी। शायद कोई कमिटी नहीं बनी थी, लेकिन सरकार के स्तर पर एक उप-समिति बनी है जो प्रति दिन मॉनेटरिंग करेगी। इसमें जल संसाधन मंत्री, वित्त मंत्री, राहत मंत्री (श्री रामविचार राय), पशुपालन मंत्री, स्वा0 मंत्री भी हैं, रोड

मंत्री भी हैं - काम महोदय, युद्ध स्तर पर प्रारम्भ हो चुका है । इसमें श्री मुंशीलाल राय, पी0एच0ई0डी0 मंत्री भी हैं ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह आप पूरे राज्य पर बोलेंगे या सिर्फ बेगूसराय जिले पर बोलेंगे ?

श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह : जो कुछ भी मेरी जानकारी है और बहुत से बाढ़ के इलाके में इधर गया हूँ, उन सूचनाओं के आधार और अपने अनुभव के आधार पर मैं अपनी बातों को रखूँगा- तो मैं यह कह रहा था इसको दो भाग में बाँट कर ही, एक इसकी स्थिति दूसरा इसका उपाय और सरकार के द्वारा क्या कुछ किया गया, नहीं किया गया....

महोदय, मैं यह कह रहा था, मैं अपनी बात की शुरुआत वहां से कर रहा हूँ अभी सदन में एक तेज तर्रार माननीय मंत्री नहीं हैं श्री जय प्रकाश नारायण यादव जी । अभी जो सत्ता पक्ष में हमारे मित्र लोग हैं मैं फिर उन्हें याद दिला देना चाहता हूँ इसी विधान सभा के भीतर अब विपक्ष में लोग थे और श्री जय प्रकाश नारायण यादव जी ने बहस में हिस्सा लिया था तो उनके बहस की शुरुआत हुयी थी, उन्होंने यहां से शुरू किया था कि -

"किस्मत में प्रदेश लिखा है तो वतन की याद क्या करूँ ।
जहां बेदर्द हाकिम हो वहां फरियाद क्या करूँ ॥

महोदय, उस समय में जो सरकार थी हुकूमत थी तो यह कहा था ।

उपाध्यक्ष : इतना ही कहकर आप समाप्त कर दीजिये जब बेदर्द हुकूमत है तो क्यों ज्यादा समय ले रहे हैं ?

श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह (बेगूसराय) : महोदय, मैं उनकी बातों को दुहरा रहा हूँ । उन्होंने उस समय बाढ़ की विभीषिका पर जो दर्द कराह आम जनता की भावनाओं और उनके जो संकट थे उसको किस रूप में उजागर किया था उसके संबंध में कह रहा हूँ और तत्कालीन जो सूबे की हुकूमत थी उसके संबंध में कहा था ।

महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि 1984 के बाद क्या आज बाढ़ की विभीषिका नहीं है ? क्या आज जानमान का खतरा नहीं है ? आज जो हुकूमत है वह इतना बेदर्द क्यों है ? महोदय, मैं यह कह रहा था कि जब हम सत्ता में रहते है तो हमारी भाषा कुछ हो जाती है और जब हम विपक्ष में रहते हैं तो हमारी भाषा कुछ और हो जाती है । इतना महत्वपूर्ण सवाल जो बिहार की जनता खासकर उत्तर बिहार की जनता और सेंट्रल बिहार की जनता बाढ़ की विभीषिका से जूझ रही है, आज तक उसका निदान नहीं हुआ है । चर्चाएं होती हैं, हम सब बहस में भाग लेते हैं, आँकड़े देते हैं, लोगों की परेशानियां बताते हैं लेकिन आउट-पुट स्थायी निदान कुछ नहीं निकलता है । चाहे वह सरकार हो चाहे यह सरकार हो । महोदय, मैं कुछ तथ्यों को आपके सामने रखना चाहता हूँ ।

उपाध्यक्ष : आप भूमिका में बहुत समय ले रहे हैं, तथ्यों को रखें ।

श्री राजेन्द्र प्र० सिंह (बेगूसराय) : महोदय, समय नहीं लेंगे तो बात कैसे आयेगी ? मैं यह कह रहा था कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पूरे देश का जो सर्वेक्षण है और उसमें पूरे देश में जो बाढ़ से प्रभावित हैं उसमें 16 प्रतिशत केवल बिहार राज्य प्रभावित है । तमाम तरह के सर्वेक्षण केन्द्रीय तथा दूसरे एजेंसियों के जो रिपोर्ट हैं उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ । बाढ़ से प्रभावित जो हमारी

जमीन है, जो फसलें हमारी बरबाद हुयी हैं उसमें यह कोई मेरा आँकड़ा नहीं है जो मैं दे रहा हूँ। 1995-96 में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र 9.26 लाख हेक्टेयर था। 1996-97 में 11.69 लाख हेक्टेयर था। 1997-98 में 14.71 लाख हेक्टेयर था और 1998-99 में 25.12 लाख हेक्टेयर था। और इस तरह से महोदय हर साल जब हम कहते हैं कि मैं सूबे बिहार की एक भी जनता को बाढ़ से मरने नहीं दूँगा, हर साल यह सरकार का जवाब आता है कि किसी को भूख से मरने नहीं देंगे लेकिन सरकार ज्यों-ज्यों दवा करती है मर्ज उतना ही बढ़ता जाता है। हर साल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र बाढ़ का बढ़ता जा रहा है, फसलों की बरबादी होती जा रही है। उसी तरह से आज हमारी जनसंख्या भी प्रभावित हुयी हैं। 1995-96 में 66.29 लाख जनसंख्या प्रभावित हुयी, 1996-97 में 87.33 लाख आबादी प्रभावित हुयी, 1997-98 में 69.65 लाख आबादी प्रभावित हुयी और 1998-99 में 134.70 लाख आबादी बाढ़ से प्रभावित हुयी। इस तरह महोदय हर साल बिहार की आबादी का काफी अच्छा हिस्सा बाढ़ से प्रभावित हुआ है और इतना ही नहीं बाढ़ से हमारी संपत्ति बरबाद होती है, फसलें बरबाद हुयी हैं उसका भी आँकड़ा हमारे पास है। 1995-96 में करीब 2 अरब का टोटल डैमेज हुआ। 96-97 में 97 करोड़, 97-98 में 1 अरब 98-99 में पाँच अरब हुआ। महोदय, यह उनका आँकड़ा है लेकिन सरकारी आँकड़ा इससे भी अधिक है। हमलोगों का जो सर्वेक्षण है और जो सरकार की एजेंसी का सर्वेक्षण है, दूसरी पदाधिकारियों का है।

(व्यवधान)

वह भी बता देते हैं, धैर्य रखिये। यह भी बता रहे हैं और

उसको आप काट नहीं सकते हैं ।

महोदय, मैं कह रहा था कि इस तरह से हर तरह की बर्बादी जो होती है फसल की, जान-मान की, उसके लिये गम्भीरता से सोचने की सख्त जरूरत है ।

श्री ओ०पी० लाल : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट । राजेन्द्र बाबू या सरकार, जो कुछ भी अपनी बात कहे, कोई भी बात करें, बाढ़ की विभीषिका है, जबतक झारखंड राज्य अलग नहीं करेंगे ये लोग, तब तक इसी तरह से झमेले में पड़े रहेंगे ।

श्री राजेन्द्र प्रसाद : हमारे मंत्रीजी, महासेठ जी ने कहा ।

उपाध्यक्ष : झारखंड में भी बाढ़ आयी है क्या ?

श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह (बेगूसराय) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी । अगस्त, 99 तक, आज 5 अगस्त है, मैं पूरी सच्चाई के साथ और दावे के साथ कह रहा हूँ । अगस्त, 99 तक 155 आदमी बाढ़ में मर गये हैं । नाव दुर्घटनाओं को छोड़ दीजिये । यह जो बाढ़ आयी है इसमें 155 आदमी । अगस्त तक मरे हैं । अब आप देख लीजिये मंत्रीजी । नाव दुर्घटनाओं की तो हमने चर्चा ही अभी तक नहीं की ।

महोदय, हमारे यहां कल-परसों साहेबपुर कमला में नाव दुर्घटना हुई, जिसमें 25 आदमी मारे गये और ऐसी दर्जनों घटनाएं पूरे बिहार में हो रही हैं ।

(व्यवधान)

मैं बाढ़ पर कह रहा हूँ, ट्रेन पर कोई बात अभी नहीं हो रही है । महोदय, सबसे बड़े दुर्भाग्य की और अफसोसनाक बात यह

है कि हमारी जो सुबाई सरकार, जो सामाजिक न्याय क़ी रट लगाते थकती नहीं हैं, अघाती नहीं हैं, उसको यह देखना चाहिये कि बाढ़ आती है तो सबको प्रभावित करती है, परंतु सामाजिक न्याय के लोगों को, निवासियों को ज्यादा पीड़ा होती है। तत्काल वे कोई व्यवस्था अपने लिये नहीं कर पाते हैं। बाढ़ आने से वे पूर्णतः समाप्त हो जाते हैं, रोजी-रोटी के लिये मुँहताज हो जाते हैं। रोटी के बिना मर जाते है।

महोदय, मैं यह बात आज आपके सामने रखना चाहता हूँ कि रिलीफ का काम कब सरकार ने प्रारंभ किया ? जब महामहिम राज्यपाल महोदय का सर्वेक्षण हुआ है, तब 24 जुलाई के बाद राहत कार्य प्रारंभ किया गया है। 24 जुलाई के पहले एक दाना भी कहीं इंतजाम नहीं किया गया।

महोदय, राज्य सरकार क्या इस बात से मुकर सकती है ? मैं बड़ ही दर्दनाक तस्वीर इस सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ, कोई गलतबयानी नहीं कर रहा हूँ। 24 जुलाई के पहले कुछ नहीं हुआ। उत्तर बिहार सबसे ज्यादा प्रभावित होता है और उत्तर बिहार की आबादी का 76 प्रतिशत आबादी बाढ़ से प्रभावित है। इतनी ज्यादा संख्या बाढ़ प्रभावितों की है।

उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करें।

श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह (बेगूसराय) : हमने तो महोदय अभी शुरू ही किया है। कल भी हमको संक्षिप्त कर दिया गया। आज मेरा राईट है, इसलिये मैं संक्षेपण में नहीं जाऊँगा। हमको पूरे तथ्य रखने की अनुमति दी जाय उपाध्यक्ष महोदय।

उपाध्यक्ष : आपका नाम मूबर में था, इसलिये आप मूबर बने हैं। लेकिन

समय सीमा तो है । बत्ती जल जाने के बाद आपको दो-तीन मिनट समय मिलेगा, लाल बत्ती के जलने के बाद ।

श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह (बेगूसराय) : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर बिहार में केबल 614 करोड़ रुपया खर्च किया गया, मैं इस सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, पूर्व की सरकार के द्वारा भी खर्च किया गया है और यह 1953-54 से खर्च किया गया है । हमारा जो 3400 किलोमीटर बाँध है और उसपर जो खर्च होता है, मैं कुछ तथ्य आपके माध्यम से सदन को देना चाहता हूँ । उपाध्यक्ष महोदय, 1953-54 में जितनी जमीन बाढ़ से प्रभावित होती थी, आज उससे ज्यादा फसलें और जमीन बर्बाद होती हैं । मैं एक बाद आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूँ कि नेपाल से 8 नदियां आती हैं जो पूरे उत्तर बिहार को रौंधते हुए निकल जाती है । मैंने पिछले सत्र में भी मांग की थी कि भारत सरकार से बिहार सरकार मजबूती ढंग से वार्ता करे और फरक्का का मुँह को चौड़ा करे ताकि पानी जो अभी निकलता है, उसकी गति में तेजी हो जाय । दूसरी बात मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूँ कि नेशनल फ्लड कमीशन ने भी स्वीकार किया है कि बिहार बाढ़ से कितना प्रभावित होता है । महोदय, 8 नदियां नेपाल से आती हैं, वह बिहार को कितना तबाह करती हैं, यह बात हम सारे माननीय सदस्य जानते हैं । महोदय, 1954 में इंजीनियर मेथानी ने एक रिपोर्ट तैयार किया था, मैं समझता हूँ कि बिहार सरकार के अधिकारियों को इसकी जानकारी होगी, उस रिपोर्ट में क्या कहा गया था? उस रिपोर्ट में कहा गया था कि बिहार में और खासकरके उत्तर बिहार में सिंचाई से मुख्य काम है, जल निकासी । यानि की जल निकासी की योजना को सही ढंग से चालू किया जाय तो सिंचाई भी होगी और बाढ़ से यहाँ के

लोग प्रभावित नहीं होंगे । दूसरी बात उन्होंने कहा था कि....

उपाध्यक्ष :- अब आप समाप्त करें ।

श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह (बेगूसराय) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो-तीन मिनट में अपनी बात को समाप्त कर दूंगा । महोदय, मैं सदन को इमपोरटेंट बात बताना चाहता हूँ । महोदय, उन्होंने कहा था कि बांध बांधने के पहले आकृति का अध्ययन करना चाहिए जो नहीं किया गया है और प्रसिद्ध विद्वान बाउनी ने भी यही कहा था कि बांध स्थल के चुनाव में भू-आकृति, परिस्थियों का अध्ययन जरूरी है और आज यही कारण है कि गैर वैज्ञानिक तरीके से खर्च आज होता रहा है और फ्लड को कंट्रोल नहीं किया गया । महोदय, आज भी फ्लड प्रोटेक्शन कम इरिगेशन स्कीम बना हुआ है, जो वर्षों से सचिवालय में पड़ा हुआ है, सचिवालय में वह फाइल सड़ रहा है । इस सरकार को कोई चिंता नहीं है, कोई दर्द नहीं है कि उत्तर बिहार के उत्पादन को कैसे बढ़ाये और वहां के लोगों को बाढ़ से कैसे बचाये । इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार को सुझाव देना चाहता हूँ कि सचिवालय मैं फ्लड प्रोटेक्शन कम्र इरिगेशन स्कीम जो वर्षों से पड़ा हुआ है, उसको सरकार अविलंब देखे और उसको लागू करे तभी उत्तर बिहार के लोगों का कल्याण हो सकता है ।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी बेगूसराय जिला में बूढ़ी गड़क का दायां तटबंध 40-41 किलोमीटर पर स्थित छोटी बद्विार ग्राम के नजदीक लगभग 240 मीटर की लंबाई में कटाव हो रहा है, जिससे उस शहर के खाद कारखाना, थर्मल पावर, तेल शोधक कारखाना पर खतरा हो गया है । वहां पर रिटायर इंजीनियर विदेशी मेहता की अध्यक्षता में एक टीम गयी थी, उन्होंने 24, 25

जुलाई को स्थल निरीक्षण करके अनुशंसा जो दिया है, उसको सरकार अविलंब लागू करे, नहीं तो अगर वह बांध टूट जाता है तो यह कारखाने बेगूसराय में है, वह सारा बर्बाद हो जायेगा, सारी सम्पत्ति बर्बाद हो जायेगी । इसलिए हमारा सरकार से गुजारिश है कि उनका जो रिपोर्ट है, सरकार उसपर अविलंब लागू करे और स्थायी रूप से इसकी व्यवस्था करे ।

उपाध्यक्ष :- अब आप समाप्त करें । बहुत सारे माननीय सदस्य बोलने वाले है ।

श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह (बेगूसराय) :- महोदय, मैं दो मिनट में अपनी बात को समाप्त कर दूँगा । महोदय, मैं कह रहा था कि इसका स्थायी निदान बोल्डर पिचिंग कराना होगा । गंगा और गंडक के बीच कभी गंगा का पानी हाई रहता है तो गंडक का पानी लो रहता है । महोदय, मैंने खुद अपने क्षेत्र में इसका सर्वेक्षण किया था और उसके आधार पर मैं आपके माध्यम से सरकार को सुझाव देना चाहता हूँ कि बाढ़ नियंत्रण के लिए गंगा और गंडक के बीच एक कनेक्शन होना चाहिए और पानी रोकने के लिए जगह-जगह पर बोल्डर पिचिंग कराना चाहिए और गंगा गंडक के बीच एक कनेक्शन होना चाहिए । महोदय, दूसरी बात मैं यह बताना चाहता हूँ कि वर्षा से भी हमारा जिला डूबता है, हमने कई बार वहां के पदाधिकारियों से सहायता के लिए मिला, लेकिन वहां के अधिकारी कहते हैं कि इसका कोई मायने नहीं देंगे, कोई सहायता नहीं देंगे । उपाध्यक्ष महोदय, बेगूसराय प्रखंड के बागवारा-सदूरीफेर शहरी चौक है, जहां पर हमेशा वर्षा के पानी से डूबा रहता है । मैं सिंचाई विभाग के इंजीनियर के पास जाता हूँ, राहत कार्यों के लिए जाता हूँ तो वहां के अधिकारी कहते हैं कि हम सिर्फ

गंगा-गंडक का पानी जहां घुसता है, उसे ही हम मदद देंगे, बाकी को मदद नहीं देंगे ।

महोदय, तीसरी बात मैं यह कह रहा हूँ कि बांधों के रख-रखाव में, मैं यह नहीं कहना कि सरकार ने कुछ नहीं किया है, लेकिन पर्याप्त रूप में 1980 के पहले और 1980 के बाद इसमें कमियां आई हैं और इस पर ध्यान देना जरूरी है ।

उपाध्यक्ष :- अब आप पन्ना उलट रहे हैं ।

श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह (बेगूसराय) :- महोदय, दूसरी बात मैं यह कह रहा हूँ, यह सुझाव दे रहा हूँ कि केन्द्र की केअर-टेकर गवर्नमेंट में फसल बीमा लागू करने की घोषणा की थी । इस फसल बीमा योजना को लागू करने से जो हमारा फसल बर्बाद होता है, उसकी क्षतिपूर्ति होती । इसलिए फसल बीमा लागू किया जाये । हर तरह की ऋण की माफी की जाये । यह मेरी मांग है । हर स्तर पर सर्वदलीय रिलीफ कमिटी बनाई जाये । स्थाई रूप से बाढ़ को रोकने के लिए एक बाढ़ आयोग का गठन किया जाये । हर स्तर पर जिला, प्रखंड और रीजनल केवल पर सर्वदलीय रिलीफ कमिटी बनायी जाये । 9वीं वित्तीय आयोग ने 175 करोड़ रुपया दिया और 10वीं वित्त आयोग ने 273 करोड़ रुपया दिया । 11वीं वित्त आयोग में यह निर्णय हुआ कि 75 प्रतिशत अंशदान किया जाये केन्द्र सरकार द्वारा और 25 प्रतिशत राज्य सरकार देगी जिसके बारे में राज्य सरकार ने कहा कि वह इसमें समर्थ नहीं है जिसके कारण बाढ़ का निदान नहीं हो सका । अगर उत्तर बिहार में बाढ़ को रोककर पानी को सिंचाई के लिए जगह-जगह डैम बनाकर उपायोग किया जाये तो हमारा उत्पादन बढ़ेगा लोगों की कार्य क्षमता बढ़ेगी, नए-नए कल-कारखाने खुलेंगे और साम्राज्यवादी

साजिश कि भारत में गल्ला उत्पादन नहीं हो, उस साजिश को विफल करके हम खुशहाल भारत बना सकते हैं । रिलीफ कोर्ड पुराना है, और इसमें संशोधन की आवश्यकता है ।

उपाध्यक्ष :- अब आप बैठिये ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव :- उपाध्यक्ष महोदय, यह सच है कि सम्पूर्ण उत्तर बिहार हिमालय के रेंज में बसे होने के कारण जहां हिन्दुस्तान के अन्य इलाकों में यदा-कदा बाढ़ आती है, वहीं उत्तर बिहार में प्रतिवर्ष बाढ़ आती है । अगर हिन्दुस्तान के अन्य इलाके में प्रतिवर्ष बाढ़ आती तो व्यापक चर्चा का विषय बनता लेकिन हमारे उत्तरी बिहार की जो भौगोलिक स्थिति है, उसके आधार पर उत्तर बिहार के हर जिला में बाढ़ से प्रतिवर्ष प्रभावित होता है । यहां प्रतिवर्ष 15 जून से 15 अक्तूबर तक बाढ़ की विभीषिका रहती है । बाढ़ के निदान के लिए जो जए उपाय खोजे गए हैं और किए गए हैं, उस विषय पर कोई मतभेद नहीं है । आज से 40-45 साल पहले जिस टेकनोलॉजी के तहत बाढ़ नियंत्रण के लिए योजना बनाई गई, वही चल रही है । अभी फिलहाल दुनिया आगे बढ़ रही है । बाढ़ नियंत्रण के लिए नए-नए रास्ते तलाशे गए हैं, नए-नए वैज्ञानिक साधन, जो शॉर्ट-टर्म हो, उसके लिए टेकनोलॉजी मीशन का गठन करे और प्रतिवर्ष आनेवाले बाढ़ से जानमाल की रक्षा हो सके । आर्थिक और सामाजिक ग्राफ में जो गिरावट हुआ है, उसमें बाढ़ का महत्वपूर्ण स्थान है । इसके निदान के लिए टेकनोलॉजी मिशन गठन करके स्थाई और अस्थाई निदान के लिए साधन का उपयोग करे । उत्तर बिहार में प्रतिवर्ष बाढ़ आया करती है और अद्भुत बात यह है कि इस वर्ष लग रहा है कि सरकार का प्रशासन पर कोई नियंत्रण नहीं है ।

15 जून ही नहीं, महोदय, 14 जुलाई को हमारे यहां रिलीफ कमिटी की बैठक हुई और कलक्टर ने बताया कि सहरसा और सुपौल जिला में एक छटाँक अनाज नहीं है । 13 लाख रुपया का आवंटन केवल हुआ है । दो वित्तीय वर्ष से नाव का भुगतान बाकी है । उस जिला में कहीं बाढ़ आये या न आये कोशी के दोनों तटबंध पर तबाही होती है, आबादी प्रभावित होती है । उस जिला में दो साल से अनाज नहीं हुआ है । सरकार कह रही है कि पूरी तत्परता से रिलीफ कार्य करवा रहे हैं लेकिन कहीं कोई रिलीफ कार्य देखने को नहीं मिलता है ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव :- चारा वगैरह की बात तो जाने दीजिये । नये-नये घोषणाओं की बात अलग है । दवा की बात की तो कल्पना ही नहीं की जा सकती है । यह वस्तुस्थिति है । क्या कर रही थी सरकार ? 15 जून के पहले मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में अधिकारियों की क्या बैठक हुई थी ? पहले से ही एक परम्परा चली आ रही है कि 15 जून के पहले सभी सीजनल कमीशनरों, सभी कलक्टरों की बैठक हुआ करती थी और उस बैठक में निर्णय किया जाता, आकलन किया जाता और उस आकलन के अनुसार कितना अनाज चाहिए, कितने नाव चाहिए, कितने नावों का भुगतान बकाया है, रीलीफ हेड में कितना पैसा चाहिए ?

उपाध्यक्ष :- वाद-विवाद जारी रहेगा । अब सदन की बैठक 2.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

अन्तराल के बाद

(इस अवसर पर माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

मृतक के आश्रितों को मुआवजा